पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक–28.08.2023

दिनांक 27/28.08.2023 को रात्रि थाना चौक 01, एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना आलमबाग 01, माल 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 01 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना पारा– दिनांक 28.08.2023 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि वादनी श्रीमती रिंकी गुप्ता पत्नी आशीष गुप्ता निवासी सरोसा भरोसा थाना पारा लखनऊ ने थाना पारा पर सूचना दिया कि दिनांक 21.08.2023 को वादनी व वादनी का परिवार बाला जी दर्शन हेतु गये थे। दर्शन यात्रा के दौरान वादिनी के पड़ोसी सीमा व सीमा के भतीजे तथा बहन के द्वारा कई बार वादिनी की लोकेशन व वापिस आने की तिथि जानने के लिये फोन किया। जब वादनी दिनांक 24.08.2023 को सरोसा भरोसा थाना पारा लखनऊ वापिस आयी तो देखा कि वादनी के उपरोक्त घर का ताला तोड़कर वादनी के घर से सोने व चांदी के जेवरात एवं चांदी के सिक्के तथा 75,000/– रूपये नगदी को चोरी कर लिया गया है। वादिनी को उपरोक्त पड़ोसी सीमा के भतीजे व बहन द्वारा वादिनी के घर से चोरी की घटना कारित करने का पूर्ण विश्वास है। **इस सूचना पर थाना पारा पर मु0अ0सं0 288/2023 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना ठाकुरगंज(फौती)–दिनांक 28.08.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि चरक हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर दुबग्गा के कर्मचारी शोभित द्विवेदी ने थाना ठाकुरगंज आकर एक किता मेमो दाखिल किया कि दिनांक 22.08.2023 को रात करीब 01.30 बजे श्री रामचन्दर पुत्र स्व0 मेडीलाल उम्र करीब 48 वर्ष निवासी न्यूरमाबाई औरंगाबाद बिजनौर लखनऊ को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। जिनकी मृत्यु दिनांक 27.08.2023 को सांय 5:30 बजे हो गयी है जिसका शव मॉर्चरी में रखा दिया गया है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री रणविजय सिंह मो0नं0 8840683129 थाना ठाकुरगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि रामचन्दर पुत्र स्व0 मेडीलाल उम्र करीब 48 वर्ष उपरोक्त आशियाना थाना क्षेत्र में रात्रि में काम से वापिस आते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गये थे जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। मृतक होटल में कार्य करता था।

थाना ठाकुरगंज– दिनांक 28.08.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री इलयास खां पुत्र अली हुसैन निवासी रोजागांव अहमदगंज गौघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 25.08.2023 को वादी व वादी का परिवार कार्यक्रम मे शामिल होने हेतु बाहर गये थे। जब वादी दिनांक 27.08.2023 को रोजा गांव अहमदगंज गौघाट थाना ठाकुरगंज लखनऊ आया तो देखा कि वादी के उपरोक्त घर का ताला तोड़कर वादी के घर से सोने व चांदी के जेवरात तथा नगदी को अज्ञात चोरो द्वारा चोरी कर लिया गया है। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 0592/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।**

<u>थाना आशियाना</u>– दिनांक 28.08.2023 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि वादी संजीव कुमार सिंह निवासी सेक्टर एल एलडीए कालोनी आशियाना लखनऊ द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.08.2023 को बैंक आफ बड़ौदा की बंगलाबाजार शाखा परिसर में स्थित बैंक एटीएम से वादी द्वारा 10000/– रू0 के दो आहरण कुल 20000/– रूपये निकाले गये। एटीएम मे मौजूद एक अन्य व्यक्ति द्वारा चालाकी से वादी के एटीएम कार्ड को अन्य एटीएम कार्ड से बदल दिया गया तथा कुछ देर बाद वादी के खाते से पर 50000/– रू0 के 02 तथा 10024/– रू0 का 01 ट्रांजेक्शन के साथ कुल 110024/– रूपये निकालने का संदेश मो0न0 पर प्राप्त हुआ। **इस सूचना पर थाना आशियाना पर मु0अ0सं0 0669/2023 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।**